

रजिस्टर्ड

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

मीरजापुर।

पत्र संख्या: ज0सू0ऑनलाइन- 131/2025/SPMZR/R/2025/80010

दिनांक - जुलाई 02, 2025

आवेदिका महिमा मौर्या निवासी ग्राम गोरसर सरपती पिन कोड-231303

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित 09.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। आप द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम में थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर से सूचना प्राप्त की गई, प्राप्त सूचना/आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

तदुसार आप अवगत हों।

संलग्नक - 02 बर्क

क्षेत्राधिकारी नगर
जनपद मीरजापुर

प्रतिलिपि - जनसूचना अधिकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक मीरजापुर को अपने पत्र संख्या ज0सू0ऑनलाइन- 131/2025/SPMZR/R/2025/80010 दिनांकित 12.06.2025 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय चरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर
पत्र संख्या ज0सू0आनलाईन अपील-131/2025 दिनांक फरवरी 12/06/2025

सेवा में,

क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जनसूचना अधिकारी)
जनपद मीरजापुर।

विषय-कृपया ऑनलाईन रजि0न0 SPMZR/R/2025/80010 आवेदिका महिमा मौर्या निवासी गोडसर सरपती
थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर पिन-231303द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रेषित
आवेदन पत्र दिनांकित 09/06/2025का मूल प्रार्थना पत्र मागी गयी सूचना के सम्बंध में आँख्या

महोदय,

आप के पत्र संख्या उपरोक्त के माध्यम से आवेदिका महिमा मौर्य उपरोक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 के तहत बिन्दुवार सूचना की अपेक्षा की गयी है जो निम्नवत है।

- 1-इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से सम्बन्धित है जो भी कागजात प्राप्त होता है तो उसका जवाब
दिया जाता है।
- 2- आवेदिका महिमा मौर्य को चोट लगी थी जिस पर थाना स्थानीय पर NCR N0104/2024 धारा
115(2)352, BNS थाना स्थानीय पर अभियोग पंजिकृत करायी गयी थी जिसमे डाक्टरी मुआयना सरकारी
हॉस्पिटल CHC विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर मे करायी गयी थी जिसमे डाक्टर महोदय द्वारा सभी चोट सामान्य
अंकित किया गया है। चूकि विपक्षी सगे भाई व भउजायी है कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। दोनो पक्ष एक सामान्य
व्यक्ति है आवेदिका के मुकदमा उपरोक्त की विवेचना की जा रही है।
- 3-यह प्रश्न करना उचित प्रतित नहीं होता सत्यता यह है कि कोई भी पिडित/पिडिता कही भी प्राथमिकता दर्ज करा
सकता/सकती है।
- 4- आवेदिका के विपक्षी को भी चोट आयी थी जिसके तहरिर के आधार पर NCR N0
105/2024 धारा 115(2)352, BNS थाना स्थानीय पर अभियोग पंजिकृत कराया गया था तथा विपक्षी का भी
मेडिकल मुआयना कराया गया था।
- 5- आवेदिका के विपक्षी को भी चोट आयी थी जिसके तहरिर के आधार पर NCR N0
105/2024 धारा 115(2)352, BNS थाना स्थानीय पर अभियोग पंजिकृत कराया गया था तथा विपक्षी का भी
मेडिकल मुआयना कराया गया था। चूकि विपक्षी को भी चोट आयी थी।



(Handwritten Signature)
02/07/25
(विनोद कुमार यादव)
उ(नि0)
थाना विन्ध्याचल मीरजापुर